



प्रेस नोट थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक 02.08.2026

“थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को 1 किलो 22 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपये) सहित किया गिरफ्तार।”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र/अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.08.26 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना अभियुक्त युसुफ खां पुत्र काले खां, उम्र करीब 42 वर्ष, नि० ग्राम रतनपुर, थाना शीशगढ़, जनपद बरेली को 1 किलो 22 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम व 1 अदद मोबाइल POCO व 540 रुपये नगद सहित गहलुईया पुल के पास से समय करीब 18.48 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 359/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

युसुफ खां पुत्र काले खां, उम्र करीब 42 वर्ष, नि० ग्राम रतनपुर, थाना शीशगढ़, जनपद बरेली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु०अ०सं० 359/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 02.08.2026 को समय करीब 18.48 बजे, गहलुईया पुल के पास से।

बरामदगी का विवरण

1 किलो 22 ग्राम अफीम, 1 अदद मोबाइल फोन POCO C61 व 540 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र०नि० श्री ब्रजेश कुमार सिंह

उ०नि० श्री जयचन्द गिरी

हे०का० यशवीर सिंह

हे०का० रामसंजीवन

रि०का० सुमित कुमार